

संशोधित डिक्री बमूकदमें इब्तदाई  
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री हीरालाल मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :- 481/2018

वादीगण :-

1. सुनील पुत्र श्री घेवरराम
  2. सुशील पुत्र श्री घेवरराम
- दोनों जाति जाट, निवासीगण सारंग बासनी  
तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. घेवरराम दत्तक पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी सारंग बासनी  
तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. तहसीलदार, मेड़ता

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 31.01.2019

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नम्बर 481 सन् 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबर हमारे व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद में जारी डिक्री में निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है कि वादीगण का नाम सुनील एवं सुशील के स्थान पर सुनील कुमार एवं सुशील कुमार पढा जावें।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

लीज..... मुबलिक..... बाबत.....  
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..... फोस सदी सालाना  
आज तारीख तारीख वसूलयोबो तक..... को अदा करे।  
बसीबत पेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....  
माह..... सन् 20/19

दस्तखत करे अधिकारी  
मेड़ता (रब.)  
ओहदा.....

